तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बतामील हुक्म की तारीख में जारी हुए
05/12/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 03/01/25 को पेश हो।	
03/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 14/02/25 को पेश हो।	
14/02/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 7/3/25 को पेश हो।	
7/3/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 3/4/25 को पेश हो। आपत्तिकर्ता सं0 152 की ओर से प्रार्थना प्रा0 पत्र मय फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेज पेश किये जो शा0 कि0 हैं।	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि0 उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि0 उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रा0 वास्ते आदेश दिनांक 22/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर [illegible] (भरतपुर)	
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि0 उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल कि0 है पत्रा0 दिनांक 22.04.25 को पेश हो। पुनश्च: पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मिसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सहायक कलेक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 112/2022

1. सीताराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बसैरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

वनाम

1. रामभजन पुत्र शिवगणेश जाति जाट निवासी बसैरी तहसील उच्चैन।
2. हरभजन पुत्र शिवगणेश जाति जाट निवासी बसैरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः—22.04.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर नया 451 रकवा 0.15 ऐयर बाके ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर पुराने साबिक खसरा नम्बर 402 रकवा 19 विस्वा से बना है। प्रार्थी उक्त आराजी के आराजी के सालिम भाग का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है जिस पर वादी प्रार्थी सम्वत् 2012 से अधिक पूर्व से लेकर वदस्तूर अब तक मालिक व काबिज है व काश्त करता व राज लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है जो प्रार्थी को अपने पिता स्वर्गीय बालूराम से न्यारानूर विरासतन व विभाजन से प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से ही न्यारानूर तरीके से अपने पिता बालूराम के जीवनकाल से लेकर बदस्तूर अब तक मालिक व काबिज है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी को अपने जीवनकाल में ही मालिक व काबिज कर दिया था। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी की बगीची लगी हुई है एवं रखबाली हेतु छप्परपोश डाला हुआ है व पशु चारे की बुर्जी बनी हुई है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग पर प्रार्थी का मालिकाना कब्जा काश्त है।

उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं रहा है न अब है। अप्रार्थीगण चालक व्यक्ति है जिन्होंने फर्जी तरीके से रैवन्यू कर्मचारियों से साज करके खिलाफ कानून व मौका व अवैधानिक रूप से वादग्रस्त आराजी के खातेदारी इन्द्राज प्रार्थी के स्थान पर अपने नाम अबैध रूप से दर्ज करा लिया जिसका अप्रार्थीगण को कोई

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अधिकार नहीं था। इस अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दिनांक 20.07.2022 को वमुकाम बसैरी तहसील उच्चैन में खुले आम उक्त आराजी से बेदखल करने एवं आराजी को रहन,वय,मुन्तकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्त काबिज आराजी है। प्रार्थी ने अतिक्रमणी की हैसियत से उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर जबरन गैरकानूनी तरीके से घूरा व लकडी डाल दिये है जिन्हें हटवाने बावत् कब्जे वापिसी व स्थाई निषेधज्ञा बावत् प्रकरण अदालत हाजा में प्रार्थी सीताराम क विरूद्ध उनवान रामभजन बनाम सीताराम विचाराधीन है। प्रार्थी व इनके पिता बालूराम उक्त आराजी का कभी कभी भी खातेदार नहीं रहे है और उक्त आराजी न ही कभी प्रार्थी के कब्जे में रही है। उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण एवं हमारा भाई तेजसिंह था जो कि लाबल्द विला औरत फौत हो चुका है। हम अप्रार्थीगण तेजसिंह के वारिसान है इसलिए उक्त आराजी में हम अप्रार्थीगण वहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है तथा मौके पर कुछ हिस्से को छोडकर शेष आराजी को हम अपने हिस्सानुसार शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में ले रहे है। उक्त आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता शिवगणेश के ताउ रामजीलाल की छोडी हुई आराजी है जोकि जरिए वसीयत दिनांक 19.08.1982 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी शुरू से ही है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाते हुये जमीन को हडपने की नीयत से गलत तरीके से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी इस न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया है। पुरानी जमाबंदी में प्रार्थी के नाम थे एवं विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा बदस्तूर आज तक है। परन्तु अप्रार्थीगण ने धोखे से रामजीलाल से वसीयत अपने नाम करवाली है। वसीयत की जानकारी होने पर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है। उक्त विवादित आराजी के हम अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो हम अप्रार्थीगण को हमारे बाबा एवं हमारे पिता के ताउ रामजीलाल से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। उक्त वसीयत पर प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा किया हुआ है इनके विरूद्ध इस न्यायालय में कब्जा बापिसी हेतु अन्य मुकदमा उनवान रामभजन बनाम सीताराम लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अतिक्रमी माना है एवं इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी की गई है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Bhatt
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। जिसके कारण प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में कब्जे के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है। परन्तु उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण को जरिये वसीयतनाम दिनांक 19.08.1982 से प्राप्त हुई है। रिकार्डेड खातेदारान को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाने पर अप्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण को जरिये वसीयतनामा दिनांक 19.08.1982 से प्राप्त हुई है एवं दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अवगत कराया की प्रार्थी को न्यायालय द्वारा अन्य मुकदमे उनवान रामभजन सीताराम में अतिक्रमणी मानते हुये प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी की हुई है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को प्रार्थी से अधिक असुविधा होना प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)